

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 741/2024

अनवान : -

1. इमरती पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. काली पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. किशतुरी पत्नी मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. गुडडी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. चुनी देवी पत्नी आदराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. जमना पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. नरसी पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. प्रहलाद पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. भूपसिंह पुत्र केशराराम जाति नायक निवासी लुडनिया छोटा तहसील तारानगर।
10. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी कॉलोनी लाखनवास तहसील भादरा।
11. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी कॉलोनी लाखनवास तहसील भादरा।
12. मनीराम पुत्र खिराज जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. मांगीलाल पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
14. मोहनलाल पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
15. रामप्रताप पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
16. रामेश्रवर पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
17. विनोद कुमार पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
18. श्रवण पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
19. संतोष कुमारी पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी वार्ड स0 22, 8 जीजीआर टिब्बी तहसील टिब्बी।
20. सन्तोश पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
21. सरोज पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
22. साहबराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. सीताराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
24. हनुमान पुत्र खिराज जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
26. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया तहसील नोहर।
27. मैनेजर एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा हनुमानगढ़ टाउन।
28. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
29. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 23/03/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 175/364 की कुल 24.6670 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।



अधिवक्ता
नोहर

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 175/364 की कुल 24.6670 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 25 परोकारा राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 175/364 की कुल 24.6670 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 इमरती पुत्री सुखराम जाति नायक सा0 खुईया — ख0न0 498 की 0.4303, 501 की 0.5564 हैक्ट कुल 0.9867 हैक्ट
- 2 इन्द्राज पुत्र सुखराम हि0 2276/24284, प्रहलाद पुत्र सुखराम हि0 2276/24284, संतोष पुत्री सुखराम हि0 9866/24284, सरोज पुत्री सुखराम हि0 9866/24284 जाति नायक सा0 खुईया खातेदार — ख0न0 498 की 0.1262, 682/1 की 1.5432, 293 की 0.7590 कुल 2.4284 हैक्ट
- 3 हनुमान पुत्र खिराज जाति नायक सा0 खुईया खातेदार रहन हि0 49335/54395 आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर — ख0न0 498 की 1.5560, 682/1 की 2.0492, 501 की 0.5693, 293 की 1.2650 कुल 5.4395 हैक्ट

- 4 काली पुत्री मालाराम हि. 4933/17462 किशतुरी पत्री मालाराम हि. 3668/17462 जमना पुत्री मालाराम हि. 4934/17462 नरसी पुत्र मालाराम हि. 506/174620 मांगीलाल पुत्र मालाराम हि. 3295/17462 विनोद पुत्र मालाराम हि. 126/174620 जाति नायक सा. खुईया खातेदार - 498 की 0.7590, 498 की 0.7342, 682/1 की 0.1265, 293 की 0.1265
- 5 भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल सा. लाखनवास तह. भादरा हाल खुईया खातेदार रहन हि. 14547/2.2141 एचडीएफसी बैंक शाखा नोहर - 498 की 0.7591, 682/1 की 1.4550 हैक्ट कुल 2.2141 हैक्ट
- 6 भूपसिंह पुत्र केशराराम जाति नायक सा. लुडनीया छोटा तह. तारानगर जिला चुरु खातेदार रहन हि. पूर्ण एचडीएफसी बैंक शाखा हनुमानगढ टारुन - ख0न0 293 की 1.6445 हैक्ट
- 7 संतोष कुमारी पुत्री राजाराम जाति नायक सा. वार्ड 22 8 जीजीआर टिब्बी खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां- ख0न0 498 की 0.2530, ख0न0 498 की 0.2530 हैक्ट कुल 1.4547 हैक्ट
- 8 गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल हिस्सा 2268/ 38194 रामेश्वर पुत्र कृष्णलाल हि.2774/38194 साहबराम पुत्र कृष्णलाल हि. 2774/38194 सीताराम पुत्र कृष्णलाल हि. 2774/38194 चुन्नीदेवी पत्नी आदूराम हि.4933/38194 रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां मोहनलाल पुत्र आदूराम हि. 979/38194 रामप्रताप पुत्र आदूराम हि. 10593/38194 रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां श्रवण पुत्र आदूराम हि. 11099/38194 - ख0न0 498 की 0.7590, ख0न0 498 की 0.7583 हैक्ट, 682/1 की 1.0371, 293 की 1.265 कुल 3.8194 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 741/2024

अनवान : -

1. इमरती पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. काली पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. किशतुरी पत्नी मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. गुडडी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. चुनी देवी पत्नी आदराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. जमना पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. नरसी पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. प्रहलाद पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. भूपसिंह पुत्र केशराराम जाति नायक निवासी लुडनिया छोटा तहसील तारानगर।
10. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी कॉलोनी लाखनवास तहसील भादरा।
11. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी कॉलोनी लाखनवास तहसील भादरा।
12. मनीराम पुत्र खिराज जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. मांगीलाल पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
14. मोहनलाल पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
15. रामप्रताप पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
16. रामेश्रवर पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
17. विनोद कुमार पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
18. श्रवण पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
19. संतोष कुमारी पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी वार्ड स0 22, 8 जीजीआर टिब्बी तहसील टिब्बी।
20. सन्तोश पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
21. सरोज पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
22. साहबराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. सीताराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
24. हनुमान पुत्र खिराज जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
26. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया तहसील नोहर।
27. मैनेजर एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा हनुमानगढ़ टाउन।
28. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
29. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 741 सन 2024 निर्णय दिनांक 23/03/2024


आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 175/364 की कुल 24.6670 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

राहुल
अजय 5 अक्टूबर 2024

- 1 इमरती पुत्री सुखराम जाति नायक सा० खुईया - ख०न० 498 की 0.4303, 501 की 0.5564 हैक्ट कुल 0.9867 हैक्ट
- 2 इन्द्राज पुत्र सुखराम हि० 2276/24284, प्रहलाद पुत्र सुखराम हि० 2276/24284, संतोष पुत्री सुखराम हि० 9866/24284, सरोज पुत्री सुखराम हि० 9866/24284 जाति नायक सा० खुईया खातेदार - ख०न० 498 की 0.1262, 682/1 की 1.5432, 293 की 0.7590 कुल 2.4284 हैक्ट
- 3 हनुमान पुत्र खिराज जाति नायक सा० खुईया खातेदार रहन हि० 49335/54395 आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर - ख०न० 498 की 1.5560, 682/1 की 2.0492, 501 की 0.5693, 293 की 1.2650 कुल 5.4395 हैक्ट
- 4 काली पुत्री मालाराम हि. 4933/17462 किशतुरी पत्री मालाराम हि. 3668/17462 जमना पुत्री मालाराम हि. 4934/17462 नरसी पुत्र मालाराम हि. 506/174620 मांगीलाल पुत्र मालाराम हि. 3295/17462 विनोद पुत्र मालाराम हि. 126/174620 जाति नायक सा. खुईया खातेदार - 498 की 0.7590, 498 की 0.7342, 682/1 की 0.1265, 293 की 0.1265
- 5 भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल सा. लाखनवास तह. भादरा हाल खुईया खातेदार रहन हि. 14547/2.2141 एचडीएफसी बैंक शाखा नोहर - 498 की 0.7591, 682/1 की 1.4550 हैक्ट कुल 2.2141 हैक्ट
- 6 भूपसिंह पुत्र केशराराम जाति नायक सा. लुडनीया छोटा तह. तारानगर जिला चुरु खातेदार रहन हि. पूर्ण एचडीएफसी बैंक शाखा हनुमानगढ टारुन - ख०न० 293 की 1.6445 हैक्ट
- 7 संतोष कुमारी पुत्री राजाराम जाति नायक सा. वार्ड 22 8 जीजीआर टिब्बी खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां- ख०न० 498 की 0.2530, ख०न० 498 की 0.2530 हैक्ट कुल 1.4547 हैक्ट
- 8 गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल हिस्सा 2268/ 38194 रामेश्वर पुत्र कृष्णलाल हि.2774/38194 साहबराम पुत्र कृष्णलाल हि. 2774/38194 सीताराम पुत्र कृष्णलाल हि. 2774/38194 चुन्नीदेवी पत्नी आदूराम हि.4933/38194 रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां मोहनलाल पुत्र आदूराम हि. 979/38194 रामप्रताप पुत्र आदूराम हि. 10593/38194 रहन आरएमजीबी शाखा खुईयां श्रवण पुत्र आदूराम हि. 11099/38194 - ख०न० 498 की 0.7590, ख०न० 498 की 0.7583 हैक्ट, 682/1 की 1.0371, 293 की 1.265 कुल 3.8194 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर